

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर
70/2022/प्रा.पत्र/2022

तारीख दायरा
20.07.2022

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
30.10.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

1-श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स एमएलजे रियल मार्ट रोड
वेज डिपो के पास देवली रोड टोंक निवासी डॉ. इम्मामुद्दीन गली काफला बाजार टोंक
जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पैरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी स्वयं व उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन उप।

:--निर्णय--:

दिनांक 30.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 14.03.2022 को समय 12:31 पीएम पर मैसर्स एमएलजे रियल मार्ट रोड वेज डिपो
के पास देवली रोड टोंक पर पहुंचा। वहां श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन
मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रमोद कुमार जैन ने
स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे
जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के दाल मूंग मोगर
एमएलजे रियल मार्ट ब्राण्ड (Split Pulses Moong Mogar MLJ Real Mart Brand) के 1-1
किलोग्राम के 15 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत
देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रमोद कुमार
जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में
विक्रेता श्री प्रमोद कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर
मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को
बताकर कि यह दाल मूंग मोगर एमएलजे रियल मार्ट ब्राण्ड (Split Pulses Moong Mogar MLJ
Real Mart Brand) वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 1-1 किलोग्राम के 4 नग खरीदे,
जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दाल मूंग मोगर एमएलजे रियल मार्ट ब्राण्ड (Split Pulses Moong Mogar MLJ Real Mart Brand) 1-1 किलोग्राम के 4 नग के एक-एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3133, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. आई-3133 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन ने मौके पर कोई खरीद बिल प्रस्तुत न करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ को स्वयं के द्वारा पैक करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/986 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /1398/एक्ट/2022/1427 दिनांक 13.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया दाल मूंग मोगर एमएलजे रियल मार्ट ब्राण्ड (Split Pulses Moong Mogar MLJ Real Mart Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं मय अभिभाषक श्री विक्रम जैन के उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दाल मूंग मोगर एमएलजे रियल मार्ट ब्राण्ड (Split Pulses Moong Mogar MLJ Real Mart Brand) का



विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दाल मूंग मोगर एमएलजे रियल मार्ट ब्राण्ड (Split Pulses Moong Mogar MLJ Real Mart Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 8,000/- (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णय न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट -
टॉक-राज0